संख्या: 8/2019/ 483/ सत्रह-म-2019-6-9(6)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल,2019

विषय: अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405 - मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -04 /ले0शा0/बजट/ 2019-20 दिनांक 11/04/2019 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वेतन-भत्तों व अन्य प्रासंगिक व्यय की विभिन्न मानक मदों हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 9712 .20 लाख (सत्तानबे करोड बारह लाख बीस हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रू0 9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत वेतन-भत्तों व अन्य प्रासंगिक व्यय की विभिन्न मानक मदों हेतु आय-व्ययक में धनराशि रू0 9786.20 लाख (रू0 सत्तानबे करोड छियासी लाख बीस हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रू0 9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है।

3- अत: प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार धनराशि रू0 9712.20 लाख (रू0 सत्तानबे करोड बारह लाख बीस हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रू0 9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरितकर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(2) मानक मद संख्या-52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) तथा मानक मद -53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के अन्तर्गत जारी की जा रही धनराशि का आहरण वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशियों का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय कराने का प्राधिकार नही देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर परचेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(4) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

4- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान, 109-विस्तार तथा प्रशिक्षण, 03- मत्स्य पालक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान -सामान्य, 04- प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना, 05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, 11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, 39- औषधि तथा रसायन मद की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों /शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>संलग्नक :यथोक्त ।</u>

भवदीय

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या - 8/2019/ 483(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग- 1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 8/2019/483/ सत्रह-म- 2019-6-9(6)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति-

(धनराशि रू0 लाख में)

योजना का नाम	आय-व्ययक अनुमान	वर्ष 2019-20 हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि
001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान-2405000010300		
01- वेतन	1123.00	1123.00
03- मंहगाई भत्ता	168.45	168.45
04- यात्रा भत्ता	2.00	2.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06- अन्य भत्ते	5.00	5.00
08- कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09- विघुत देय	30.00	30.00
10- जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.75
13- टेलीफोन पर व्यय	1.75	1.75
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
17- किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	15.00	15.00
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.01	0.01
29- अनुरक्षण	10.00	10.00
42- अन्य व्यय मतदेय	0.00	0.00
भारित	**5.00**	**5.00**
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	0.50	0.50
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
49- चिकित्सा व्यय	15.00	15.00

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51- वर्दी क्रय	0.50	0.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	63.86	63.86
55- मकान किराया भत्ता	50.00	50.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	5.00	5.00
58- आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग - 001-03	**1548.32**	**1548.32**
भारित	**5.00**	**5.00**
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण		
03- मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना	-	-
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसागिंक व्यय	2.00	2.00
योग- 109	**2.00**	**2.00**
190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं उपक्रमों को सहायता		
03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता		
20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन)	148.00	74.00
31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	700.00	700.00
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	33.68	33.68
योग - 190	**881.68**	**807.68**
800- अन्य व्यय **03-अनुसंधान सामान्य**		
01- वेतन	5578.38	5578.38
02- मजदूरी	1.00	1.00
03- मंहगाई भत्ता	836.76	836.76
04- यात्रा व्यय	15.00	15.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.50	2.50
06- अन्य भत्ते	16.60	16.60
07- मानदेय	3.60	3.60
08- कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09- विघुत देय	40.00	40.00
10- जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13- टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00	12.00
16- व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00
17- किराया /उपशुल्क और करस्वामित्व	20.00	20.00
18- प्रकाशन	0.30	0.30
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.30	0.30
29- अनुरक्षण	1.00	1.00
42- अन्य व्यय मतदेय	1.00	1.00
भारित	**4.50**	**4.50**
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	5.00	5.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /ततसम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	22.00	22.00
51- वर्दी क्रय	1.00	1.00
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	317.71	317.71
55- मकान किराया भत्ता	200.00	200.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	20.00
58- आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग- 800- मतदेय	**7111.65**	**7111.65**
भारित	**4.50**	**4.50**
04-प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना		
01-वेतन	133.00	133.00
03-मंहगाई भत्ता	19.95	19.95
04- यात्रा व्यय	3.00	3.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06- अन्य भत्ते	1.00	1.00
08- कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09- विघुत देय	5.00	5.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	1.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.50
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	5.00
17- किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	4.00	4.00
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	0.50	0.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /ततसम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51- वर्दी क्रय	0.20	0.20
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	7.55	7.55
55- मकान किराया भत्ता	9.00	9.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	1.00
58- आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग - 800- 04	**209.20**	**209.20**
05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
02-मजदूरी	1.00	1.00
04-यात्रा व्यय	0.50	0.50
08- कार्यालय व्यय	0.50	0.50
09- विघुत देय	20.00	20.00
10- जलकर/जलप्रभार	2.00	2.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.25
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13- टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.25	0.25
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.00	3.00
18- प्रकाशन	0.10	0.10
42- अन्य व्यय	0.25	0.25
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /ततसम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	0.20	0.20
51- वर्दी व्यय	0.10	0.10

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग- 05	**29.85**	**29.85**
11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण		
39- औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
योग - 11	**3.50**	**3.50**
योग-800- अन्य व्यय मतदेय	7354.20	7354.20
भारित	4.50	4.50
कुल योग - 2405- मतदेय	**9786.20**	**9712.20**
भारित	**9.50**	**9.50**

(रू0 सत्तानबे करोड बारह लाख बीस हजार मात्र)

(भारित रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।